**International Journal of Advanced Research and Development**
**ISSN: 2455-4030**
**Impact Factor: RJIF 5.24**
**www.advancedjournal.com**
**Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 490-492**

# भारतीय संविधान में विशेष स्वायत्त क्षेत्र का प्रावधान

**कुँवर भास्कर परिहार**
एम.ए., राजनीति विज्ञान, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

## प्रस्तावना

विविधतापूर्ण देश में सविधान निर्माताओं ने क्षेत्रीय सांस्कृति तथा नृजातीय स्वरूप पर 'स्वायत्तता' बनाये रखने का प्रयास किया और भारतीय संविधान में इसके लिये 'विशेष प्रावधान' किया गया। सशक्त संविधान में सशक्त संघ की अवधारणा के साथ 'विशेष स्वायत्त' क्षेत्र का प्रावधान आकर्षक है।

भारतीय संविधान में विशेष स्वायत्त क्षेत्र के लिये विविध प्रावधानों को जगह दी गई है। स्वतन्त्रता के बाद भारत से जुड़े कई स्वायत्त देने का प्रावधान किया गया है।

## क्या है विशेष स्वायत्त क्षेत्र?

सामान्यतः किसी देश के अन्तर्गत स्थित विशेष भू–भाग, जिसके लिये प्रशासन, विधि निर्माण, विधि लागू करने के लिये अलग से प्रावधान किया जाता है, स्वायत्त क्षेत्र कहलाता है। स्वायत्त क्षेत्रों में सामान्यतः राज्य या देश के कानून या नियम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लागू किये जाते हैं, वरन् वहां की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होने के बाद लागू होते हैं। स्वायत्त क्षेत्रों की अलग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक (नृजातीय) तथा प्रशासनिक पहचान होती है।

## विशेष स्वायत्त क्षेत्र के उद्देश्य

- भारत की समृद्ध विरासत में स्थानीय हितों की रक्षा करना।
- राज्य या क्षेत्र विशेष के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- राज्य या क्षेत्र के जनजातीय या नृजातीय समूहों के आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना।
- राज्यों या क्षेत्रों के कुछ अशान्त इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थापना करना तथा उन्हें स्वशासन की शिक्षा करना।

## भारतीय संविधान में विशेष स्वायत्त क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र) का प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद–244 में कुछ विशेष प्रकार के उपबन्ध किये गये हैं। इसका सम्बन्ध अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से है। संविधान की पांचवीं तथा छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं।

## अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र का विस्तार

संविधान की पांचवीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र का विस्तार असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर शेष क्षेत्रों में है, जबकि छठी अनुसूची का विस्तार असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र में है।

## पांचवीं अनुसूची में वर्णित सांविधानिक उपबन्ध

**अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा :** राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये अधिकृत है। राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्यपाल से परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा सकता है या सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकता है।

**केन्द्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति :** राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती हैं। परन्तु इन क्षेत्रों के लिये राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी जाती हैं राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्र राज्यों को निर्देश दे सकता है।

**जनजातीय सलाहकार परिषद :** अनुसूचित क्षेत्र के लिये एक जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की जाती है। इस परिषद में कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें तीन–चौथाई (15) राज्य विधान के अनुसूचति जनजातीय क्षेत्र के सदस्य शामिल होते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान में सलाह देना है।

**अनुसूचति क्षेत्रों में लागू विधि :** इस क्षेत्र में राज्यपाल को विशेष विधिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमण्डल की विधि को अनुसूचित क्षेत्रों के अनुकूल परिवर्तित कर सकता है। राज्यपाल, अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति व अच्छे शासन के लिये जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार–विमर्श कर नियम बना सकता है।

संविधान में यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु एक आयोग गठित करेगा। इससे सम्बन्धित पहला आयोग वर्ष 1960 में यूएन ढेबर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसने वर्ष 1961 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की। इसके बाद दूसरा आयोग वर्ष 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित किया गया।

## छठी अनुसूची में वर्णित उपबन्ध

छठी अनुसूची में उत्तर–पूर्व के चार राज्यों–असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं–

- असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन ये स्वायत्तशासी क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकार से बाहर नहीं है।
- राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने

का अधिकार है। राज्यपाल स्वशासी क्षेत्रों की सीमा घटा या बढ़ा सकता है तथा नाम भी परिवर्तित कर सकता है।

- यदि स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं, तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।
- प्रत्येक स्वशासी जिले के लिये एक जिला परिषद होगी, जिसमें तीस सदस्य होंगे। 26 सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जायेगा। शेष 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किये जायेंगे। नामित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त बने रहेंगे, जबकि निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष को होगा।
- जिला व प्रादेशिक परिषदें अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिये ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। वे अपील सुन सकती हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधायल, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है या निर्माण कर सकती है। जिला परिषद साहूकारों पर नियन्त्रण और गैर–जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियम बना सकती है, लेकिन ऐसे नियम के लिये राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।
- जिला व प्रादेशिक परिषद को भू–राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकता है।
- संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित नियम को स्वशासी क्षेत्रों में लागू करने के लिये आवश्यक बदलाव किया जा सकता है।
- राज्यपाल, स्वशासी जिलों तथा परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिये आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल, आयोग की सिफारिश पर जिला या परिषदों को विघटित कर सकता है।

## जनजातीय स्वशासी क्षेत्र/जिला

तालिका 1

| राज्य | स्वशासी क्षेत्र/जिला |
|---|---|
| टसम | ▪ उत्तरी कछार पहाड़ी जिला<br>▪ कार्बी आंगलांग जिला<br>▪ बोडोलैण्ड |
| मेघालय | ▪ खासी पहाड़ी जिला<br>▪ जयन्तिया पहाड़ी जिला<br>▪ गारो पहाड़ी जिला |
| त्रिपुरा | ▪ त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला |
| थ्मजोरम | ▪ चकमा जिला<br>▪ मारा जिला<br>▪ लाई जिला |

## नागालैण्ड को विशेष दर्जा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–371 (ए) के अनुसार, नागालैण्ड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 1963 में राज्य के रूप में सृजित नागालैण्ड के साथ भारत सरकार के समझौते के उपरान्त उसे 'विशेष' दर्जा दिया गया। नागालैण्ड को इस अनुच्छेद के अनुसार अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की छूट दी गई है। संसद के किसी अधिनियम से राज्य की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है।

## अनुच्छेद–370 और जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता

भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद–370 जम्मू एवं कश्मीर को एक विशेष स्वायत्त प्रदेश का दर्जा प्रदान करता है।

अनुच्छेद–370 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर को स्वायत्तता 'अस्थायी प्रावधानों' के अनुरूप दी गई है।

इस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद–238 में राज्यों के लिये लागू प्रावधानों को भारत के अन्य राज्यों के साथ जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं किया जा सकता। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के साथ अनुच्छेद–238 का लोप हो गया।

डा. बीआर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अनुच्छेद–370 का ड्राफ्ट तैयार करने से मना कर दिया था। इसका प्रारूप गोपालस्वामी आयंगर द्वारा तैयार किया गया।

गोपालस्वामी आयंगर प्रथम मन्त्रिपरिषद में 'बिना विभाग के मंत्री' थे। वह जम्मू एवं कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह के दीवान भी रह चुके थे।

अनुच्छेद–370 को संविधान के भाग–XXI में अस्थायी तथा संक्रमणशील प्रावधानों के अनुरूप रखा गया।

अनुच्छेद–370 के अनुसार भारतीय संसद जम्मू एवं कश्मीर राज्य की सीमाओं को परिवर्तित नहीं कर सकती।

अनुच्छेद–370 के अनुसार 'राज्य की सरकार' का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तथा राज्य की विधानसभा द्वारा सहमति प्राप्त व्यक्ति, जिसे सद्रे रियासत (राज्यपाल) कहा गया है, वह राज्य की कैबिनेट की सलाह पर कार्य करेगा।

## विशेष स्वायत्त क्षेत्र की वर्तमान में प्रासंगिकता

यद्यपि कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान समय में विशेष स्वायत्त क्षेत्र वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं रह गया है, परन्तु अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र की समस्या की विविधता को देखते हुए इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। यह खासकर पूर्वोत्तर की जनजातीयों की सामाजिक–आर्थिक राजनीतिक चेतना के लिये उपयुक्त है।

## References


1. Etzioni A. A communitarian perspective on privacy. Connecticut Law Review. 2000; 32(3):897-905.
2. Regan PM. Legislating privacy: Technology, social values, and public policy. Chapel Hill, U.S.: The University of North Carolina Press, 1995.
3. Shade LR. Reconsidering the right to privacy in Canada. Bulletin of Science, Technology & Society. 2008; 28(1):80-91.
4. Sprenger Polly. Sun on Privacy: 'Get Over It. Wired. Retrieved, 1999-2017.
5. Etzioni A. Are new technologies the enemy of privacy? Knowledge, Technology & Policy, 2007; 20:115-119.
6. Chishti Seema, Anand Utkarsh. Legal experts say debating Preamble of Constitution pointless, needless. The Indian Express. Retrieved, 2015.
7. Jacobsohn Gary. Constitutional Identity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2010, 57.
8. Chakrabarty Bidyut. Indian Politics and Society Since Independence: Events, Processes and Ideology (First ed.). Oxon (UK), New York (USA): Routledge, 2008, 103.

9. Dalal Milan. India's New Constitutionalism: Two Cases That Have Reshaped Indian Law. Boston College International Comparative Law Review. 2008; 31(2):258-260.
10. Basu Durga Das. Shorter Constitution of India. Prentice-Hall of India. 1981.ISBN 978-0-87692-200-2.
11. Das Hari Hara. Political System of India. Anmol Publications. 2002.ISBN 81-7488-690-7.
12. Jayapalan N. Constitutional History of India. Atlantic Publishers & Distributors. 1998.ISBN 81-7156-761-4.
13. Khanna Hans Raj. Making of India's Constitution. Eastern Book Co. 1981.ISBN 978-81-7012-108-4.
14. Sen Sarbani. The Constitution of India: Popular Sovereignty and Democratic Transformations. Oxford University Press. 2007. ISBN 978-0-19-568649-4.
15. Sharma Dinesh, Singh Jaya, Maganathan R, *et al*. Indian Constitution at Work. Political Science, Class XI. NCERT, 2002.
16. Narain Vrinda. Water as a Fundamental Right: A Perspective from India PDF. Vermont Law Review. 34:917: 920.
17. Khanna HR. Making of India's Constitution. Eastern Book Co, Lucknow, 1981.